

जल संसाधन विभाग,
राजस्थान सरकार

क्रमांक:- १०/१२(१०१)/वसा/राप/निप/ ११४

जयपुर, दिनांक:- ०५-०५-२०१९

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय सहायता प्राप्त त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अन्तर्गत विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ERM) के कार्यों को (AIBP) के दिशा निर्देशानुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करवाकर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति के लिये संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर के स्थान पर अधीक्षण अभियंता(वाटर आडिट एवं बेंच मार्किंग) को तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

mita

(संयुक्त शासन सचिव)
जल संसाधन विभाग

क्रमांक:- प. १२(१०१) वसा/राप/निप/ ११९-२५४

जयपुर, दिनांक :- ०५-०५-२०१९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, वास्ते प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर।
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राज.जयपुर।
2. मुख्य अभियंता, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, राज.जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा/हनुमानगढ/इगानप,बीकानेर/सीएडी, जयपुर/
बीकानेर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/उदयपुर/जोधपुर।
5. सचिव, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक(सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य/विशेष योजना/प्रशासन/मो.नो./ विधानसभा/WA&BM.
8. निजी पत्रावली।

mita

(संयुक्त शासन सचिव)
जल संसाधन विभाग